

॥ प्रेस नोट जालोर ॥

दिनांक:- 12.09.2017

प्रेस नोट

1. पेरोल से फरार इनामी अपराधी पिस्टल व कारतुस सहित गिरफ्तार

श्री विकास कुमार शर्मा, जिला पुलिस अधीक्षक जालोर द्वारा जिला जालोर में फरार अपराधियों के बारे में चलाये जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत श्री जस्साराम बोस अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सांचौर व श्री फाउलाल सी.ओ वृत्त सांचौर के निर्देशन में आज दिनांक 12.9.2017 को स.उ.नि. हजुरखां मय कानि. भंवरसिंह, मीठालाल, आसूराम व थानाधिकारी चितलवाना तेजुसिंह उप.नि मय हैडकानि. भैरुसिंह, कानि. महेन्द्रकुमार राजेन्द्रकुमार, कपिल, मुकेशकुमार, मदनलाल, ड्राइवर दिनेशकुमार द्वारा अपराधी रमेश कुमार पुत्र श्री भभूताराम उर्फ भभूतराम जाति विशनोई (बाबल) उम्र 39 साल निवासी हालीवाव पुलिस थाना चितलवाना को गिरफ्तार किया जाकर अपराधी के कब्जे से एक लोड की हुई पिस्टल व 09 जिन्दा कारतुस तथा संदिग्ध वाहन टेरेनो एक्स जीजे 18 बीई 5320 को जब्त किया गया। जिस पर थाना चितलवाना में आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। अपराधी आर्ले दर्जे का शराब व मादक पदार्थों का तस्कर है जो वर्ष 2013 में श्रीमान विशिष्ठ न्यायलय एन.डी. पी.एस एक्ट कोर्ट जोधपुर से सजा होने पर जैल से पेरोल के दौरान फरार चल रहा था। पुलिस अधीक्षक जालोर द्वारा उक्त अपराधी को गिरफ्तार करने पर 2000/ रुपये का इनाम घोषित किया गया है। अपराधी के विरुद्ध पुलिस थाना अनादरा जिला सिरोही, रानी जिला पाली, बालोतरा, कल्याणपुर जिला बाडमेर में शराब व मादक पदार्थ तस्करी तथा चालानी गार्ड को चकमा देकर फरार होने आदि घटनाओं के प्रकरण दर्ज हैं।

2. मकान में बेची जा रही अवैध शराब के कुल 115 कार्टून जब्त

श्री विकास शर्मा पुलिस अधीक्षक जालोर के निर्देशन में द्वारा चलाये जा रहे अवैध शराब के विरुद्ध धरपकड़ अभियान के तहत आज दिनांक 12.09.2017 को डॉ दुर्गसिंह राजपुरोहित वृत्ताधिकारी वृत्त जालोर के सुपुरविजन में श्री गंगाप्रसाद उनि, श्री दानाराम सउनि, श्री बिरबलराम हैड कानि, बंजरगलाल कानि, रविकुमार कानि, सुनिल कुमार कानि, सुरेश कानि द्वारा आज नया बस स्टेण्ड जालोर पहुंच एक मकान में अवैध रूप से बेची जा रही देशी मदिरा के कुल 115 कार्टून बरामद किये गये तथा मुलजिम जब्बरू खा पुत्र गफुर खा मुसलमान निवासी कोलर को मौके से गिरा किया जाकर प्रकरण आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज किया गया। मुलजिम से अनुसंधान जारी है।